Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–प्रथम का कनिष्ठ लिपिक 4 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **कोरोना वॉरियर मृतक पिता का मुआवजा दिलाने की एवज में मांगी गई थी रिश्वत**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *25 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर देहात इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये राकेश कुमार कट्टा कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम को परिवादी से 4 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पिता की कोरोना वॉरियर (राशन डीलर) के रूप में हुई मृत्यु के मामले में मुआवजा दिलवाने की एवज में राकेश कुमार कट्टा कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा 4 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर देहात इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राकेश कुमार कट्टा पुत्र श्री जानकी वल्लभ कट्टा निवासी 253, चंपानगर, गली नंबर–4, गुर्जर की थड़ी, जयपुर हाल कनिष्ठ लिपिक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम को परिवादी से **4 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।